

कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
कोटा

क्रमांक:- सान्याअवि/2017-18/ 10739

दिनांक:- 23.3.2018

ई-निविदा आमंत्रण सूचना-01/2017-18 (E-NIB No.-----)

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा Rajasthan Transparency In Public Procurement Act 2012 तथा Rajasthan Transparency In Public Procurement Rule 2013 तहत उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा में जॉब बेसिस पर कार्य हेतु वर्ष 2018-19 (16.04.2018 से 15.04.2019 तक) कराने हेतु इच्छुक श्रम आपूर्ति कर्ताओं/स्वयं सहायता समूहों/प्लेसमेन्ट एजेन्सियों से निम्नानुसार ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।


क्र.सं.	जॉब कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित वार्षिक लागत	2 प्रतिशत अमानता राशि
1	20 रसोईया 9.5 माह/13 चौकीदार 12 माह हेतु जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराने बाबत।	19,00,000/-	38,000/-
	निविदा शुल्क	500/-	-
	आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क (RISL Processing Fees)	500/-	-

ई-निविदा कार्यक्रम

1	ई प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डाटासीट इत्यादि डाउनलोड करने की तिथि व समय	26 मार्च , 2018	दोपहर 12:00 बजे
2	ई प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि व समय	26 मार्च , 2018	दोपहर 12:00 बजे
3	प्री बिड मीटिंग	10 अप्रैल , 2018	दोपहर 12:00 बजे
4	ई प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डाटासीट इत्यादि अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	12 अप्रैल, 2018	प्रातः 11:00 बजे तक
5	अमानत राशि निविदा शुल्क आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क (RISL Processing Fees) एवं निविदा दस्तोवज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	12 अप्रैल, 2018	दोपहर 12:00 बजे
6	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	12 अप्रैल, 2018	02:00 पी.एम
7	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	13 अप्रैल, 2018	04:00 पी.एम

ऑन-लाईन बिडिंग के लिए निविदादाता का सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (DSC) होना आवश्यक है। निविदा दस्तावेज मय शर्तें sjerajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। तकनीकी निविदा उन्ही निविदादाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को दोपहर 12:00 बजे तक निविदा शुल्क की राशि निविदा प्रतिभूति राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो की उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा के नाम तथा ई निविदा प्रक्रिया शुल्क राशि 500/- रूपये डिमाण्ड ड्राफ्ट Managing Director, RISL, Jaipur (Pay able at Jaipur) के नाम से कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। तकनीकी निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित हो जाने पर अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जावेगी। उक्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

UBN No.-



उप निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
कोटा

कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
कोटा

क्रमांक:- 10740

दिनांक:- 23.3.18

निविदा सूचना 01/2017-18

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित संचालित विभिन्न राजकीय छात्रावासों का निम्न कार्य जॉब बेसिस पर कराये जाने हेतु इच्छुक श्रम आपूर्ति कर्ताओं/स्वयं सहायता समूहों/प्लेसमेन्ट एजेन्सी से ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है।

नाम कार्य	अनुमानित लागत	प्रतिभूति राशि	निविदा शुल्क	प्रोससिंग शुल्क	निविदा डोक्यूमेन्ट जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि एवं समय
रसोईयों एवं चौकीदार का निर्धारित कार्य	19.00 लाख	38000 (अठतीस हजार)	500/-	500/-	12 अप्रैल , 2018 दोपहर 12:00 बजे	12 अप्रैल , 2018 दोपहर 02:00 बजे	13 अप्रैल , 2018 दोपहर 04:00 बजे

1. निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्तें कार्यालय के नोटिस बोर्ड, विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in एवं spps portal पर उपलब्ध है।


उप निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
कोटा

क्रमांक:- 10741-45
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 23.3.18

क्रमांक :- सान्याअवि/लेखा/

दिनांक: -

प्रतिलिपि निम्न को डी.पी.आर. दरो पर प्रकाशन हेतु:-

1. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, कोटा को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र में जिनकी प्रकाशित प्रतियों की संख्या 50 हजार प्रतियों से अधिक हो उसमें तथा एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में डी.पी.आर. दरो पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
2. श्रीमान अति.निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
3. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/जिला परिषद/जिला कलक्टर कार्यालय।


उप निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
कोटा

कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा

क्रमांक:- सान्याअवि/2017-18/

दिनांक:-

तकनीकी बिड़ (स्टेज-1)

विषय:- जॉब बेसिस पर रसोईया एवं चौकीदार जॉब बेसिस पर कराने के लिए निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता:-
2. निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाईल नम्बर:-
3. निविदादाता का ई-मेल एड्रेस:-
4. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक:- दिनांक:-
5. हम उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
6. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण:-

क्र.सं.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हाँ या नहीं	जारी होने की तिथि/वैधता अवधि/बैंक का विवरण
1	ई-टेण्डर के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रु. 500/- जमा कराने का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/बैंकर्स चैक नम्बर..... दिनांक..... राशि..... प्रस्तुत किये जाने का विवरण		
2	ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रु.500/- जमा कराने का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/बैंकर्स चैक नम्बर..... दिनांक..... राशि रूपयें..... प्रस्तुत किये जाने का विवरण		
3	सूचना में अंकित अमानत राशि रु/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/बैंकर्स चैक नम्बर..... दिनांक..... राशि रूपयें..... का विवरण		
4	कार्य अनुभव प्रमाण पत्र		
5	श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र		
6	पेन कार्ड (आयकर)		
7	पी.एफ. पंजीयन प्रमाण पत्र		
8	ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र		
9	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र		

7. हमारे द्वारा निम्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं:-

1.
2.
3.

8. हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा प्रस्तुत की दी गई हैं।

9. निविदा शुल्क ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक मूल रूप में (भौतिक रूप से) निर्धारित अवधि तक उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कोटा में जमा होने की स्थिति में ही ई-निविदा खोली जावेगी। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे तथा उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की स्केन कॉपी ई-निविदा के साथ अपलोड करें।

हस्ताक्षर निविदादाता

नोट:-

1. उपरोक्त सारणी में अंकित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं अथवा नहीं उसके आगे हों या नहीं/उसके जारी होने की तिथि/वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. निविदा भरन की प्रक्रिया:-
 1. परिशिष्ट "अ" तकनीकी बिड हैं तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक पृष्ठ डिजिटल हस्ताक्षर शुदा अपलोड करें।
 2. परिशिष्ट "ब" प्राईस बिड हैं तकनीकी निविदा में पाये गये योग्य निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
 3. तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा पृथक पृथक फोल्डर बना कर अपलोड की जावें।

कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
कोटा

निविदा प्रपत्र-प्राईस बिड़ (स्टेज-II)

विषय:- जॉब बेसिस पर रसोईया एवं चौकीदार का कार्य कराने के लिए वित्तीय निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता:-
2. निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाईल नम्बर:-
3. निविदादाता का ई-मेल एड्रेस:-
4. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक:- दिनांक:-
5. निविदा शुल्क की राशि...../- अक्षरें..... नगद (रसीद संख्या/डी.डी./बैंकर्स चैक नं..... दिनांक..... के द्वारा जमा करा दी गई हैं।
6. हम उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. रसोईया एवं चौकीदार के कार्य की दर निविदा दाता को प्रत्येक छात्रावास वाईज प्रस्तुत करनी होगी। बाबत हमारी दर निम्न प्रकार हैं:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	छात्रावासों की संख्या	ईकाई	मासिक दर समस्त करों सहित अंकों व शब्दों में		
				अंकों में	शब्दों में	
1	चौकीदारी का कार्य	10	प्रत्येक छात्रावास			
2	रसोईया का कार्य	3	0 से 25 छात्र की क्षमता हेतु			
			1	26 से 40 छात्र की क्षमता हेतु		
			9	41 से 50 छात्र की क्षमता हेतु		
			7	51 से 75 छात्र की क्षमता हेतु		
			1	76 से 100 छात्र की क्षमता हेतु		

नोट:-

1. श्रम विभाग द्वारा श्रम नियमों की पालना में समय समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार ठेकेदार द्वारा छात्रावासों में उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों (श्रमिकों) को अनिवार्य रूप से ठेकेदार को ही न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए दरे देवें। यदि निविदादाता द्वारा अपनी दरों में न्यूनतम मजदूरी से कम दरों के प्रस्ताव दिये जाते हैं तो निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। न्यूनतम मजदूरी में से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जावेगी।
2. रसोईया एवं चौकीदार के कार्यों की वित्तीय निविदा को वित्तीय स्वीकृति के लिये दरों के सम्बन्ध में एक ही ईकाई माना जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

रसोइये के कार्य का विवरण

1. छात्र/छात्राओ के लिए सुबह चाय व नाश्ता तत्पश्चात भोजन जिसमें दाल, चावल, सब्जी, चपाती, दही सलाद आदि बनाना।
2. छात्र/छात्राओ के लिये सांय का भोजन जिसमें दाल,चावल,रोटी,सब्जी आदि बनाना।
3. रसोई की साफ सफाई रखना व प्रयोग में आने वाले बर्तनो की साफ सफाई देखभाल व सुरक्षा करना।
4. छात्र/छात्राओ के भोजन सामग्री साफ-सफाई,,देखरेख व सुरक्षा रखना।
5. छात्र/छात्राओ को समय समय पर आवश्यकतानुसार चाय व अन्य खाद्य सामग्री तैयार करना।
6. अधीक्षक के आदेशानुसार रसोई सम्बन्धी कार्यो की पालना करना।
7. अधीक्षक द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार रसोई सम्बन्धी कार्य करना।

मैने / हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 लगायत 7 को भली भॉति पढ लिया एवं समझ लिया है।
मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

सुरक्षा (चौकीदारी) के कार्य का विवरण :-

1. आवासी छात्र/छात्राओं के लिये 24 घण्टे सुरक्षा का कार्य करना।
2. निदेशालय द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
3. छात्रावास में आवक-जावक रजिस्टर, गेट रजिस्टर/विजिटर रजिस्टर का संधारण करना।
4. आवासी छात्र/छात्राओं के अलावा बाहरी छात्रों का निषेध होगा।
5. आवासी छात्रों को परिजनों से मिलवाने का रजिस्टर में इन्द्राज करना होगा।
6. छात्रावास अधीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार सुरक्षा (चौकीदारी) से संबंधी कार्य करना।

मैने / हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 लगायत 6 को भली भँति पढ लिया एवं समझ लिया है।
हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

राजकीय छात्रावासों में चौकीदारी के कार्य हेतु विशिष्ट शर्तें:-

निविदादाता के कर्मकारों को:-

1. आवासी छात्रों को प्रेम व स्नेह व्यवहार से सुरक्षित रखना।
2. छात्रावास की सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं करना।
3. चौकीदारी कार्य ढंग से करते हुये ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहिये।
4. चौकीदारी कार्य करना वाला शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।
5. छात्रावास का एवं आवासी छात्रों का चौकीदारी कार्य 24 घण्टे प्रतिदिन किया जाना है।
6. चौकीदारी कार्य करने वाले को खाने-पीने के लिए किसी प्रकार की खाद्य सामग्री देय नहीं है।
7. चौकीदारी कार्य करने वाला स्वयं के खर्च पर ड्यूटी पर उपस्थित होना होगा।
8. आवासी छात्रों से किसी प्रकार की कठोरता व अप्रिय भाषा को प्रयोग न करना।
9. छात्रावास में लगाये गये पेड़ पौधों को साफ सुतरा रखना एवं नियमित पानी देना होगा।
10. आवासी छात्रों के अलावा अन्य बाहरी लोगों निषेध होगा।
11. छात्रावास परिसर में मद्य पान निषेध होगा।
12. चौकीदारी कार्य करने वाले को अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा से अपने दायित्व की पूर्ति करना।
13. छात्रावास अधीक्षक के आदेशानुसार समय समय पर चौकीदारी कार्य की पालना करना।
14. छात्रावास परिसर में सामग्री या सामान की संख्या में कमी दुरुपयोग व जान बुझकर खराब करने पर चौकीदार/सेवाप्रदाय कर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।
15. कार्य से अनुपस्थित रहने पर स्वीकृत/अनुमोदित दर का 2 गुना राशि अथवा दैनिक मजदूरी(अन्य) से कार्य कराने की जो भी राशि अधिक हो सेवा प्रदाता को वहन करनी होगी।

मैंने /हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 15 को भली भाँति पढ लिया है एवं समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है।

दिनांक:-

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं नाम

1. ई-निविदा ही स्वीकर की जावेगी।
2. कार्य की अवधि कार्यादेश स्वीकृति की तिथि से 15.4.2019 के लिए मान्य होगी। जिसे जिलाधिकारी द्वारा तीन माह बढ़ाया जा सकता है। जिसके लिये अनुबन्धित फर्म कार्य करने के लिए बाध्य है, इसके उपरान्त दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ठेका अवधि बढ़ाई जा सकती है।
3. निविदादाता/संस्था/फर्म/एजेन्सी को पूर्व में राजकीय कार्यालयों के अर्द्धशासकीय कार्यालयों में या अन्य संस्थाओं में निविदा में उल्लेखित कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियाँ निविदा पत्र के साथ अपलोड करनी हैं।
4. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित अमानता राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा का राजभवन रोड कोटा शाखा में भुगतान योग्य निविदा के साथ जमा कराना होगा। सफल निविदादाता को निविदा मूल्य की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृति के 5 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा अमानता राशि जप्त करली जावेगी। अमानता का प्रतिभूति राशि में समायोजन कर लिया जाएगा। द्वितीय न्यूनतम दर निविदादाता की अमानता राशि रोक कर शेष निविदादाताओं को आवेदन करने पर अमानता राशि लौटा दी जाएगी। अमानता राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. सफल निविदादाता द्वारा अवयस्क एवं अशक्त व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा।
6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विभागीय क्रय समिति को होगा।
7. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार विभागीय क्रय समिति को होगा।
8. दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार विभागीय क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
9. निविदादाता का श्रम विभाग से मानव श्रम आपूर्ति करने का पंजीयन करवाना आवश्यक है। साथ ही ई.एस. आई. व पी.एफ.विभाग सर्विस टेक्स में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। सम्बन्धित दस्तावेज निविदा के साथ अपलोड करने होंगे। निविदादाता द्वारा जी.एस.टी. नम्बर का पंजीकरण संलग्न करना होगा।
10. फर्म का पिछले 3 वर्षों का टर्नओवर 1 करोड प्रतिवर्ष होना आवश्यक है।
11. फर्म के मालिक/प्रोप्राइटर का पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
12. फर्म अथवा प्रोप्राइटर का कम से कम 10 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
13. फर्म के पास राजकीय कार्यालयों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
14. फर्म के पास राजकीय छात्रावासों में कार्मिक उपलब्ध कराने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
15. एक से अधिक फर्म द्वारा समान दर प्रस्तुत किये जाने पर अनुभव के आधार पर चयन किया जावेगा।
16. पी.एफ./ई.एस.आई./जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगा जिसके चालान नियमानुसार जमा कर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
17. श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में समय-समय पर किये गये संशोधन इस अनुबन्ध पर लागू होंगे।
18. फर्म को पिछले 3 वर्षों के पीएफ जमा कराने के चालान संलग्न करना अनिवार्य है। एवं नियमित पी.एफ कटौती राशि सम्बन्धित विभाग में चालान से जमा करना अनिवार्य है।
19. फर्म को पिछले 1 वर्ष के ई एस.आई जमा कराने के चालान संलग्न करना अनिवार्य है।
20. फर्म को पिछले 6 माह के जी.एस.टी जमा कराने के चालान संलग्न करना अनिवार्य है।
21. निविदादाता को ठेका कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को ठेका सबलेट नहीं करेगा।
22. निविदा की शर्तों का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।
23. निविदा के सम्बन्ध में अन्य कोई शर्तें मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
24. निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने का निर्देश सेवा प्रदायकर्ता को देता है तो ठेकेदार द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा तथा अन्य व्यवस्था करनी होगी।

